२८-६-१८

पत्रावली न्याय आपके द्वार-2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने मूल वाद में प्रा० पत्र बाबत मूल कैफ्स माफ करने का पेश कर इजरायकी निर्णय की पालना हो चुकी है इसलिये इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सॉभर लेक

Scanned by CamScanner